राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3(ख)(स्थाईकरण / नियमितिकरण) / अलेसे–II / दिनांक :– 20/08/2018

आदेश संख्या 65 /2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कार्मिक / कार्मिकों जिन्हें लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से स्थाई / नियमित किया जाता है:–

क्र.सं.	मेरिट / बैच न.	नाम (सर्वश्री) / लिंक नं.	जन्मतिथि	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित / स्थाईकरण तिथि
1	3	2	4	5	6	7
1	236 / 2011	राजकुमार चौहान 2557	10.09.1970	30.04.2013	29.04.2015	30.04.2015

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे–बैण्ड 9300–34800 एवं ग्रेड–पे 4200 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जो परिवीक्षा काल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अंतर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना F 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

उक्त आदेश लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में लम्बित न्यायिक प्रकरणों अध्ययधीन होंगे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ख)(स्थाईकरण / नियमितिकरण) / अलेसे–II / 1031 दिनांक :– 20/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II / कनिष्ठ लेखाकार।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित / निजी पत्रावली / वरिष्ठता सीट।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)